

ऋणों का संवितरण

सामान्य ऋण करार (सीएलए) के अनुसार, ऋण करारों में उल्लिखित संवितरण-पूर्व शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही ऋण निधियाँ संवितरित किया जाना था। इन शर्तों को ऋण करार में इसलिए शामिल किया गया, ताकि कर्जदारों की अपेक्षित इक्विटी निधियों को पूरा करने की उनकी सक्षमता तथा निर्धारित समय के भीतर ऋण की वसूली का विस्तृत मूल्यांकन करते समय संभावित जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी एवं पीएफसी द्वारा समय-समय पर वितरण-पूर्व शर्तों में छूट दी गई। पहले संवितरण के पश्चात्, बाद के संवितरण अधिकांशतः पहले से संवितरित निधि की सुरक्षा के लिए तथा शर्तों में छूट और समय-सीमा बढ़ाकर किए गए थे। विकासकों/कर्जदारों द्वारा वितरण-पूर्व शर्तों के गैर-अनुपालन तथा आरईसी और पीएफसी द्वारा छूट दिए गए कुछ निर्देशित मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1 सीएलए का गैर अनुपालन

3.1.1 मै. इंड-भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) के साथ सामान्य ऋण करार के खण्ड 2.2.4 के अनुसार, 'शुरूआती आहरण तिथि के पश्चात कर्जदार को अगले आहरण की तिथि से पूर्व प्रत्येक ऋणदाताओं को अपने लेखापरीक्षकों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्येक ऋणदाता से उधार ली गई सभी धनराशि का उपयोग/अंतिम उपयोग उचित रूप से किया गया, ऐसा न करने पर अगला आहरण रोक दिया जाएगा। बशर्ते कि अंतिम आहरण के मामले में ऐसे प्रमाण पत्र ऐसे आहरण के 90 (नब्बे) दिन समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे। आईबीपीएमएल ने 31 अगस्त 2014 तक ₹ 632.08 करोड़ का कुल व्यय किया (इक्विटी: ₹ 478.24 करोड़, ऋण: ₹ 153.84 करोड़)। पीएफसी ने अगस्त 2014 तक ₹ 442.26 करोड़ का संवितरण किया था। शेष ऋण ₹ 288.42 करोड़ (₹ 442.26 - ₹ 153.84 करोड़) नकद और कर्जदारों के बैंक अधिशेष में था। इसके बावजूद आरईसी ने पीएफसी सहित अन्य ऋणदाताओं द्वारा पूर्व में संवितरित ऋण का उपयोग सुनिश्चित किए बिना ₹ 416.21 करोड़ संवितरित किया। (फरवरी 2015)

एमओपी/आरईसी ने बताया (मार्च 2017/जून 2017 और दिसम्बर 2016) कि मुख्य ऋणदाता से ऋण पुष्टि सूचना (एलसीएन) के आधार पर संवितरण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सामान्य ऋण करार के अनुसार, कर्जदार के पास उपलब्ध निधियों के उपयोग से संबंधित पुष्टि करने के पश्चात् ही आरईसी को संवितरण करना चाहिए था।

3.1.2 आरईसी और पीएफसी ने मै. एसपीआईसी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसईपीसी) की विभिन्न संवितरण-पूर्व शर्तों में छूट दी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला आपूर्ति की सुरक्षा प्रदान करना तथा परिवहन करार (सीएसटीए), जमीन पट्टा करार (एलएलए) तथा रियायत प्रबंधन करार (सीएमए) पर हस्ताक्षर करना शामिल था। यद्यपि पहले संवितरण (10 नवंबर 2015) से पूर्व इन शर्तों का पालन किया जाना था, तथापि पीएफसी और आरईसी ने इन शर्तों के अनुपालन हेतु मार्च, 2016 तक का समय अनुमत किया।

आरईसी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मुख्य ऋणदाता (पीएफसी) के निर्णय के आधार पर छूट दी गई थी। पीएफसी ने बताया (नवम्बर 2016) कि 31 मार्च 2016 तक समय की अनुमति इन करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए दी गई थी। चूँकि प्रतिभूति, एलएलए और सीएमए के हस्ताक्षर पर टिकी थी, प्रतिभूति हेतु समय विस्तार भी प्रस्तावित था। एमओपी ने बताया (फरवरी 2017) कि, इन शर्तों के अनुपालन में छूट पीएफसी की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विकासकों ने अभी तक उपरोक्त वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन नहीं किया है (अक्टूबर 2016)।

3.1.3 मै. एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एनपीपीएल) के साथ पीएफसी की सामान्य ऋण करार के अनुसार, विकासक को शुरुआती आहरण के 12 महीनों के भीतर अर्थात् 30 दिसम्बर 2012 तक बिजली की बिक्री पीपीए पर हस्ताक्षर करना था। इस शर्त में समय-समय पर छूट प्रदान की गई और अंतिम विस्तार 30 सितंबर 2016 तक का दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विकासक पीपीए को अंतिम रूप नहीं दे सका। यद्यपि, विकासक ने कई मामला-1 बोलियों में भाग लिया था फिर भी इसे कोई बोली नहीं मिल

पाई थी, क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तावित दर काफी अधिक थी; 2011 में एल4 (₹ 3.684 प्रति इकाई), 2012 में एल13 (₹ 6.425 प्रति इकाई), 2014 में एल2 (₹ 4.35 प्रति इकाई), 2016 में एल7 (₹ 4.407 प्रति इकाई) बोली थी।

एमओपी/पीएफसी ने बताया (फरवरी 2017/जून 2017 तथा नवम्बर 2016) कि शुरू में एनपीपीएल का पीटीसी के साथ समझौता ज्ञापन हुआ था। हालांकि इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि अंतिम प्रयोक्ता ने पीटीसी के साथ अपना करार रद्द कर दिया। यह भी बताया गया कि परियोजना कम्पनी, बोलियों में भाग ले रही थी और अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ बातचीत शुरू किया था जिनके पास पीपीए था। आगे यह भी बताया गया कि चूँकि, मुख्य ऋणदाता ने इस शर्त के अनुपालन में 30 सितंबर 2016 तक समय-विस्तार दिया था, इसलिए पीएफसी द्वारा भी समय-विस्तार दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लगातार ऋण किस्तों का संवितरण तथा समय-सीमा में अतिरिक्त विस्तार औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि निर्धारित समय से चार वर्ष के बाद भी पीपीए निष्पादन नहीं किया गया।

3.1.4 मै. जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) में 74 प्रतिशत इक्विटी वाली प्रमुख विकासक, मै. कोस्टल पावर लिमिटेड ने बताया (05 अगस्त 2013) कि इसने निधि की समस्या के कारण सितम्बर 2012 में परियोजना में अपने शेयर का 21.92 प्रतिशत दो अन्य निजी निवेशकों, मै. एफआईएल कैपिटल मैनेजमेंट (एफआईएल) और मै. सेक्वा कैपिटल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग (सेक्वा) को बेच दिया था। परियोजना की लागत बढ़ गई (01 जुलाई 2014) और चूँकि, परियोजना लागत बढ़ गई थी, इसलिए ₹ 208.86 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी पूँजी की आवश्यकता थी। नए निजी निवेशकों ने इक्विटी निवेश में योगदान नहीं दिया। विकासक मै. कोस्टल पावर लिमिटेड अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण अतिरिक्त इक्विटी प्राप्त नहीं कर सका। इसने परियोजना के मुख्य उधारदाता पीएफसी पर अतिरिक्त जोखिम डाल दिया। पीएफसी ने अगस्त 2010 तक परियोजना पर ₹386.23 करोड़ वितरित किये। विकासक के अतिरिक्त इक्विटी लाने में अयोग्य रहने के कारण, जनवरी 2015 में परियोजना एनपीए में बदल गई।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (फरवरी 2017/जून 2017 व नवम्बर 2016) कि नये विकासकों ने परियोजना में निवेशकों के रूप में भाग लिया और न कि विकासक के रूप में। इसलिए, सीपीएल परियोजना के मुख्य विकासक के रूप में बनी रही जो पहले ही अधिक हुई लागत के मामले में अतिरिक्त इक्विटी निषेचन वचनबद्धता प्रस्तुत कर चुकी थी। उस समय तक निषेचित इक्विटी की तुलना में परिकल्पित इक्विटी सहयोग को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी में परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इक्विटी में परिवर्तन को अनुमोदित करते हुए, पीएफसी को मुख्य विकासक के सामने आ रही वित्तीय संकट की जानकारी थी और इसलिए नये निवेशकों के प्रवेश को देखे जाने के साथ-साथ परियोजना संपूर्णता के जोखिमों को भी देखा जाना चाहिए था।

3.1.5 अगस्त 2004 में, पीएफसी ने मै. कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड (केजीपीएल) की परियोजना सहित पावर परियोजनाओं के लिए गैस की कमी महसूस की और इस संकट का समाधान करने के लिए मंत्रालय के हस्तक्षेप हेतु अनुरोध करते हुए एमओपी से निवेदन किया। आरंभ में, पीएफसी ने सिफारिश की कि ईंधन आपूर्ति का समाधान लंबित होने तक इस परियोजना के आगे के वितरण को रोका जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएफसी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित न होने पर भी दिसम्बर 2004 से जुलाई 2016 तक ₹329.27 करोड़ की राशि का कर्जदार को ऋण का वितरण करता रहा।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (जून 2017/नवम्बर 2016) कि जून 2004 में प्रथम वितरण के समय पर गैस के साथ समेकित गैस आपूर्ति अनुबंध था। एमओपी ने कहा (फरवरी 2017) कि गैस की उपलब्धता पीएफसी और राज्य सरकार और गैस के साथ कर्जदार/विकासक द्वारा उठाई गई थी और यह आकलन किया गया कि गैस जनवरी 2007 तक उपलब्ध होगी। तदनुसार, संकाय के निर्णय के आधार पर वितरण किये गये थे।

गैस की कमी के संबंध में पीएफसी द्वारा पहले ही जताई गई चिंता (अगस्त 2004) के प्रति उत्तर को देखे जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के लिए गैस की निश्चित उपलब्धता के आधार पर आगामी वितरण किये जाने चाहिए थे।

3.1.6 सामान्य ऋण करार उसकी स्वयं की या अन्य वित्तीयन दस्तावेजों की शर्तों के अननुपालन के मामले में अतिरिक्त ब्याज के प्रभार के लिए प्रावधान करता है। यदि वितरण नकद में किये गये हैं तो अतिरिक्त ब्याज 1 प्रतिशत की दर पर उदग्रहित किया जाना था और 2 प्रतिशत पर यदि वितरण सहमति पत्र (एलओसी) के प्रति किये गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने तालिका 3.1 में दिये विवरण के अनुसार पूर्व-वितरण शर्तों के अननुपालन के लिए परियोजना कंपनियों से अतिरिक्त ब्याज का प्रभारण नहीं किया।

तालिका 3.1 : मामले जहां अतिरिक्त ब्याज को ऋण समझौते के अनुसार प्रभारण नहीं किया गया था

परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति	आरईसी उत्तर
कार्पोरेट पावर लिमिटेड (सीपीएल)	सीपीएल को संस्वीकृति पत्र के अनुसार, कर्जदार को प्रथम वितरण (जून 2010) की तिथि से एक वर्ष में ऋणदाता के पक्ष में कुल भूमि को गिरवी रखना था। आरईसी ने शेष भूमि (52.90 एकड़) को गिरवी रखने के लिए सितम्बर 2013 तक अतिरिक्त समय दिया परंतु उक्त का अनुपालन नहीं किया गया। मार्च 2016 के बाद कोई अतिरिक्त समय अनुमत नहीं किया गया था। यद्यपि आरईसी ने मार्च/अप्रैल 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने तक अतिरिक्त ब्याज को प्रभारित नहीं किया था। बाद में आरईसी ने जून 2010 से	लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में, अतिरिक्त ब्याज का उदग्रहण किया गया था। यद्यपि, चूंकि ऋण लेखा पहले ही एनपीए में परिवर्तित हो चुका था, इसलिए आय को माना नहीं गया था।

	मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹49.29 करोड़ का ब्याज लगाया।	
मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल)	<p>एमईपीएल ने पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन के साथ 600 मै.वा. की दीर्घ अवधि बिक्री के लिए एक समझौता किया (फरवरी 2010)। परन्तु न तो 600 मैवा के लिए एक के बाद एक और न ही अंतिम उपभोक्ता के साथ शेष विद्युत के लिए दीर्घावधि/लघुअवधि पीपीए को हस्ताक्षरित किया। (ऋण करार के क्लॉज 5.2 (X) के अनुसार)</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने मार्च 2011 से दिसम्बर 2013 की कुछ अवधि के लिए ब्याज उद्ग्रहित की; परन्तु जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015 तक कोई ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया गया और जनवरी 2016 के बाद पूरा ब्याज उद्ग्रहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 से दिसम्बर 2015 के दौरान ₹21.49 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।</p>	<p>23 मार्च 2012 तक शर्तों को पूरा करना था और इस तिथि के बाद पीपीए शर्त के अननुपालन के लिए एलओसी के प्रति किये गये सभी वितरणों पर ब्याज प्रभारित किया गया था। चूंकि 23 मार्च 2012 और 09 जुलाई 2012 के बीच कोई नकद वितरण नहीं किया गया था, इसलिए कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था। जुलाई 2012 में पीपीए को अंतिम रूप देने के संबंध में शर्त को संशोधित किया गया और इस शर्त की अनुपालना का समय 30 जून 2017 तक बढ़ा दिया गया था। इसलिए इसके बाद कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।</p>
केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड (केएमपीसीएल)	<p>कर्जदार को परियोजना भूमि पर मारगेज करना अपेक्षित था और प्रथम वितरण (30 अगस्त 2011) की तिथि से छः महीनों में उक्त को सौंपना था। 1260 मे.वा. के लिए पीपीए निष्पादित किया जाना था और प्रथम वितरण की तिथि से 12 महीनों के अन्दर सौंपा जाना था। आरईसी ने मार्च 2017 तक इस शर्त के</p>	<p>पीपीए निष्पादित न करने के प्रति अतिरिक्त ब्याज प्रभारित करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई और उक्त के लिए अतिरिक्त ब्याज के लिए आरईसी के पास कोई नीति नहीं है। कर्जदार को प्रतिभूति (परियोजना भूमि का मारगेज और निर्धारण)</p>

	अनुपालन के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया और परियोजना भूमि को मारगेज न करने के लिए 31 अगस्त 2011 से 06 मई 2014 (अनुपालना की तिथि) की अवधि के लिए ₹18.35 करोड़, और पीपीए को हस्ताक्षर न करने के लिए 31 अगस्त 2011 से 30 जून 2016 (अनुपालना तिथि) की अवधि हेतु ₹ 62.43 करोड़ अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया।	सृजन के लिए 30 जून 2014 तक समय प्रदान किया गया था। इसलिए इस अवधि तक कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।
इंड-भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीईयूएल)	ऋण समझौते के क्लॉज 5.2 (iii) के अनुसार, आईबीईयूएल को ऋण राशि के प्रथम आहरण (सितम्बर 2012) से पूर्व पीपीए सौंपना था। पीपीए का सौंपना और प्रतिभूति सृजन का जुलाई 2016 में अनुपालन किया गया था। यद्यपि फरवरी 2014 तक अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया गया था और इसके बाद मार्च 2014 से जून 2016 तक ₹18.19 करोड़ अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।	प्रतिभूति के गैर-सृजन के लिए जनवरी 2014 में अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया गया था चूंकि पीपीए और ईंधन आपूर्ति करार सौंपे नहीं गए थे। चूंकि अगला वितरण मई 2014 में किया गया था और इस अवधि के दौरान अतिरिक्त समय दिया गया था, इसलिए इसके बाद कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

जैसा कि उपरोक्त मामलों से देखा गया, ऋण समझौते के प्रावधान सभी ऋण मामलों में लगातार कार्यान्वित नहीं किये गये थे जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- एमईपीएल के संबंध में पीपीए शर्त के गैर-अनुपालन के लिए चूक की पूरी अवधि हेतु अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया गया था, परंतु केएमपीसीएल और आईबीईयूएल के संबंध में कम अवधि के लिए प्रभारित किया गये थे।
- यद्यपि पूर्व-वितरण शर्तों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय पीपीएल को प्रदान किया गया था, अतिरिक्त ब्याज बढ़ाई गई अवधि के दौरान गैर-अनुपालन

के लिए प्रभारित किया गया था। यद्यपि, एमईपीएल, केएमपीसीएल और आईडीबीयूएल के संबंध में उक्त को प्रभारित नहीं किया गया था। एमईपीएल के मामले में, एलओसी के प्रति वितरण के लिए केवल अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया गया था और नकद में वितरण के लिए कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

वस्तुतः आरंभ से किये गये सभी वितरणों और न कि किये गये वृद्धि संबंधी वितरणों के लिए ब्याज प्रभारित किया जाना था। भुगतान के स्वरूप अर्थात् नकद में वितरण या एलओसी की प्रति को न देखते हुए संपूर्ण अवधि हेतु अतिरिक्त ब्याज का उद्ग्रहण किया जाना था। शर्तों के अनुपालन के लिए समय का विस्तार अतिरिक्त ब्याज को अनुद्ग्रहण प्रदान नहीं करता था, विशेषतः क्योंकि आरईसी इन ऋणों पर अतिरिक्त जोखिम वहन करेगा।

एमओपी ने कहा (जून 2017) की भविष्य में सभी परियोजनाओं में शर्तों के गैर अनुपालन पर अतिरिक्त ब्याज पर तर्कयुक्त प्रभारण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा इस आश्वासन को ध्यान में रखता है जिसे आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी।

3.2 निर्माण के दौरान ब्याज का समायोजन

किसी परियोजना के लिए ऋण परियोजना लागत में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के भाग के साथ-साथ परियोजना आर्थिक आधार पर स्वीकृत की जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण के वितरण के दौरान, आरईसी ने ऋण स्वीकृति के दौरान अनुमोदित करने की अपेक्षा आईडीसी के प्रति ऋण का अधिक भाग समायोजित किया। इन समायोजनों के साथ, ऋण लेखा 'प्रामाणिक' रहे जबकि ऋण सेवा सारणी के अनुसार उधारकर्त्ता द्वारा कोई भुगतान न ही किया गया था। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षित नमूने में ऐसे चार मामले देखे।

3.2.1 मै. लेंको बाबंध पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एलबीपीएल) के ऋण स्वीकृति के लिए बोर्ड एजेंडा के अनुसार, परियोजना का कुल आईडीसी ₹844 करोड़ था, जो कुल ऋण ₹5544 करोड़ का 15.22 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने जून 2013

और फरवरी 2016 तक आईडीसी के प्रति ₹152.20 करोड़ के प्रति ₹271.10 करोड़ समायोजित किये। चूंकि आरईसी ने फरवरी 2016 तक ₹1000 करोड़ वितरित किए इसलिए आरईसी द्वारा समायोजित आईडीसी 27.11 प्रतिशत तक बनी। यदि इसी रूप में ब्याज को समायोजित नहीं किया गया होता तो, ऋण लेखा स्वयं ही सितम्बर 2013 में एनपीए हो गया होता।

3.2.2 में लैंको विदर्भा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एलवीटीपीएल) के सत्व मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना का कुल आईडीसी ₹761.76 करोड़ अर्थात कुल ऋण का 10.97 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने जून 2013 से फरवरी 2016 तक आईडीसी के प्रति ₹181.62 करोड़ समायोजित किये। चूंकि, आरईसी ने फरवरी 2016 तक ₹490.06 करोड़ वितरित किये इसलिए समायोजित आईडीसी 37.06 प्रतिशत बनी। यदि इसी रूप में ब्याज को समायोजित नहीं किया होता तो, ऋण लेखा स्वयं ही दिसम्बर 2013 में एनपीए हो गया होता।

3.2.3 में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (एलएपीएल) के सत्व मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना का कुल आईडीसी ₹2495.18 करोड़ अर्थात कुल ऋण का 32.48 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने नवम्बर 2012 से अगस्त 2016 तक आईडीसी के प्रति ₹835.29 करोड़ समायोजित किये। चूंकि आरईसी ने अगस्त 2016 तक ₹1804.29 करोड़ वितरित किये, इसलिए समायोजित आईडीसी 46.29 प्रतिशत बनी। यदि इसी रूप में ब्याज को समायोजित नहीं किया गया होता तो, ऋण लेखा स्वयं ही जून 2013 में एनपीए हो गया होता।

3.2.4 में अलकनंदा हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) की बढ़ी हुई पाँचवीं लागत की स्वीकृति के समय पर, परियोजना पहले ही आरंभ हो (21 जून 2015) चुकी थी। इसके बावजूद, आरईसी ने आईडीसी के वित्तपोषण के लिए ₹24.86 करोड़ स्वीकृत किये। आरईसी के आंतरिक दिशा-निर्देश परियोजना आरंभ होने के बाद आईडीसी वित्तपोषण के लिए ऋण को स्वीकृति प्रदान नहीं करता, विशेषतः जब कर्जदार चूक पर था।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसम्बर 2016) कि ब्याज समायोजन मुख्य बैंक से ऋणदाता की पुष्टिकरण टिप्पणी की प्राप्ति के बाद सामान्य ऋण करार के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। आरईसी ने कहा कि एएचपीसीएल के संबंध में आईडीसी वित्तपोषण हेतु ऋण की स्वीकृति सभी कर्जदारों द्वारा लिये गये संयुक्त निर्णय के आधार पर थी। आंतरिक दिशा-निर्देशों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शर्तों में ढिलाई दी गई थी। एमओपी ने आश्वासन दिया (जून 2017) कि परियोजना में लगातार आईडीसी समायोजन से बचा जाएगा व इसे समाधान हेतु संयुक्त ऋणदाता फोरम में उठाया जाएगा।

3.3 ऋण प्रसंस्करण व वितरण प्रक्रिया में विलंब

ऋण आवेदन की प्राप्ति और ऋण के स्वीकृति और प्रथम वितरण के बीच काफी समय अंतराल देखा गया था। चूंकि वित्तपोषण के लिए परियोजना को पूंजी अतिशय बोधक हैं, इसलिए अधिक समय अंतराल पूंजीगत लागत और परियोजना की आर्थिक रूप से लाभ प्रदत्ता को प्रभावित करेगा। इस पहलू पर आरईसी और पीएफसी की आंतरिक नीति मौन है। लेखापरीक्षा ने दो मामलों में ऋण के लिए आवेदन, संस्वीकृति और प्रथम वितरण के बीच असामान्य विलंब देखे जिनका विवरण नीचे दिया गया है। अंततः दोनों ऋण लेखे एनपीएज़ में बदल गये:

3.3.1 मै. कृष्णा गोदावरी पावर यूटीलिटीज लिमिटेड (केजीपीयूएल) का ऋण आवेदन अगस्त 2004 में प्राप्त हुआ था और मार्च 2007 में ढाई वर्षों के बाद ऋण स्वीकृत किया गया था। अक्टूबर 2008 में ऋण दस्तावेजों को पूरा किया गया था और प्रथम वितरण नवम्बर 2009 में किया गया था। इस प्रकार, ऋण आवेदन प्राप्ति और प्रथम वितरण में पांच वर्षों से अधिक का समय अंतराल था। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना की आर्थिक लाभप्रदत्ता ऋण आवेदन और प्रथम वितरण की प्राप्ति के बीच काफी समय अंतराल के बाद पुनः निर्धारित नहीं की गई थी। जुलाई 2013 में परियोजना की लागत बढ़ गई और चूंकि विकासक बढ़ी हुई लागत वित्त पोषण के लिए अपेक्षित इक्विटी नहीं ला सका, इसलिए परियोजना गतिविधियां रूक गई और ऋण एनपीए बन गया।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (फरवरी 2017/जून 2017 तथा नवम्बर 2016) कि परियोजना लागत की परियोजना लागत में पाये गये मुख्य परिवर्तन के मामले में केवल वितरण के समय पर सामान्य समीक्षा की गई थी। ऋणदाता इंजीनियर ने वितरण के आरंभ होने से पहले पूर्ण तत्परता के रूप में परियोजना लागत की समीक्षा की थी और प्रमाणित किया था कि परियोजना में कोई लागत नहीं बढ़ी थी। एमओपी ने कहा कि परियोजना लागत का 84 प्रतिशत फर्म पकैज संविदा पर था और वृद्धि हेतु परियोजना लागत और किसी न देखी गई बढ़ी गई लागत के रूप में पर्याप्त आकस्मिक निधि तैयार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। पीएफसी ने ₹76 करोड़ तक परियोजना लागत बढ़ाते हुए जुलाई 2013 में बढ़ी हुई लागत को अनुमोदित किया। विवरण दर्शाते हैं कि पकैज संविदा में भी लागत संशोधन ने दर्शाया कि यह निश्चित नहीं था। वास्तविक अनुमानित लागत से ₹160 करोड़ की कुल वृद्धि को दर्ज करते हुए मई 2016 में परियोजना लागत बढ़ गई।

3.3.2 पीएफसी ने अक्टूबर 2012 में मै. स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एसईपीसी) का ऋण आवेदन प्राप्त किया था, जून 2013 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और नवम्बर 2015 में प्रथम वितरण किया गया था। आरईसी में, अप्रैल 2013 में आवेदन प्राप्त किया गया था, ऋण जनवरी 2014 में स्वीकृत किया गया था और प्रथम वितरण जनवरी 2016 में किया गया था। पीएफसी और आरईसी ने परियोजना लागत और परियोजना निधि को वास्तविक रूप से सौंपे जाने से पहले बढ़ी हुई परियोजना लागत से निपटने के लिए विकासक को वित्तीय क्षमता के साथ-साथ इसकी लाभ प्रदत्ता को पुनः नहीं देखा। 07 अक्टूबर 2016 को हुई ऋणदाताओं की बैठक के अनुसार यह देखा गया कि परियोजना की ईपीसी संविदा 19 प्रतिशत तक वास्तविक संस्वीकृत स्तर से बढ़ गई है।

पीएफसी ने कहा (नवम्बर 2016) कि जून 2013 में ऋण स्वीकृत किया गया था और कर्जदार के अनुरोध पर, ऋण वैधता जून 2014 तक बढ़ा दी गई थी, चूंकि बकाया ऋण के लिए स्वीकृति में और अधिक समय लगने की संभावना थी। दस्तावेजीकरण आंतरिक दिशानिर्देशों में विहित समय सीमा के भीतर किया गया था। एमओपी ने कहा (फरवरी 2017) कि स्वीकृति और दस्तावेजीकरण के बीच समय बीतना वृहद् आधारभूत परियोजनाओं में सामान्य था और बढ़ी हुई लागत के जोखिम को कम करने के लिए

ऋण दाताओं का सहारा लिये बिना बढ़ी हुई लागत के वित्तपोषण के लिए आवश्यक शर्त को भी दर्शाया गया था।

परियोजना की लागत में देखे गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के मद्देनजर, ऋण की स्वीकृति और वितरण के बीच काफी समय बीतने के मामले में परियोजना लागत के पुनः निर्धारण के लिए संगत मामला है।

3.4 जल्द बाजी में संवितरण

3.4.1 मै. जस इंफ्रास्ट्रैक्चर एंड पावर लिमिटेड को ऋण स्वीकृति (अगस्त 2011) और प्रथम वितरण (जुलाई 2012) के बीच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं जिनसे ऋण वितरणों के प्रति सजग दृष्टिकोण की अपेक्षा थी। 01 जून 2012 को अर्थात् ऋण की स्वीकृति के दस महीनों के बाद, कोयला ब्लॉक को धोखा धड़ी से प्राप्त करने के लिए विकासक के विरुद्ध सीबीआई जांच हुई और विकासक के प्रति 03 सितंबर 2012 को एफआईआर फाइल की गई थी। तथापि, आरईसी ने जुलाई 2012 में ₹30.95 करोड़ का प्रथम वितरण और नवम्बर 2013 में ₹2.23 करोड़ का दूसरा वितरण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना को दी गई निधियों की वसूली के अवसर कम थे। सभी ऋणदाताओं द्वारा ₹2697.66 करोड़ के वितरण के प्रति ₹143.35 करोड़ पर इस परियोजना का बाजार मूल्य मूल्यांकनकर्ता ने निर्धारण किया (फरवरी 2016)। इस रिपोर्ट में, मूल्यांकनकर्ता ने ₹1549.07 करोड़ के खर्च के प्रति शून्य के रूप में संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का निर्धारण किया। विकासक ने 05 फरवरी 2014 से ₹ 2286 करोड़ की अग्रिम/प्रगति में पूंजीगत कार्य के विवरण प्रस्तुत नहीं किये।

आरईसी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि 14 जुलाई 2012 को ₹30.95 करोड़ के वितरण के बाद, परियोजना की प्रगति के मद्देनजर, इसके बाद ऋण को वितरित न करने का निर्णय लिया गया और सीबीआई जांच के संबंध में मामले पर 13 सितंबर 2012 की संघ बैठक में चर्चा की गई थी। एमओपी ने कहा (मार्च 2017) कि संघ ऋणदाताओं और आरईसी के पक्ष में परिकल्पित प्रतिभूतियों की लागू पूर्व वितरण शर्तों की अनुपालना के बाद मुख्य ऋणदाता द्वारा जारी किये गये ऋणदाता पुष्टि नोटिस के आधार पर आरईसी ने पर वितरण किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सीबीआई जांच की पृष्ठभूमि और परियोजना से संबंधित असंभावनाओं के प्रति, ऋण वितरण करने का आरईसी का निर्णय न्याय संगत नहीं था। किसी भी समय पर समान्य ऋण करार ने वितरण रोकने के लिए ऋणदाता को भी सशक्त (खंड 13.15) किया, बिना इस पर ध्यान दिये कि यदि कोई वितरण मुख्य ऋणदाता या अन्य ऋणदाता (ऋणदाताओं) द्वारा किया गया था, यदि इसके विचार में, परियोजना की आर्थिक लाभप्रदता को प्रभावित करने वाली कोई घटना हुई थी।

इस परियोजना के पीएफसी वित्तपोषण के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2016 (खण्ड-I) की रिपोर्ट सं. 15 के पैराग्राफ 11.2 में पहले ही सूचित की गई है।

3.5 निधियों का विपथन

न्यास एवं धारण खाता (टीआरए) इंगित बैंक में खोले जाने वाले खाते के रूप में एक भुगतान तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना के सारे नकदी प्रवाह लेनदार और देनदारों के बीच तय करार के अनुसार इस खाते के माध्यम से निर्गत किए जाते हैं। ऋण निधियों के अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यास एवं धारण खाता (टीआरए) नियंत्रण के उद्देश्य हेतु, ऋण समझौते में वितरण से पूर्व ऋणदाताओं के लेखापरीक्षकों से उपयोगिता/अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रवधान किया गया। प्रत्येक वितरण करने से पहले, आरईसी और पीएफसी द्वारा विकासक/कर्जदार के सनदी लेखाकार से प्रमाण-पत्र को यह कहते हुए प्राप्त करना अपेक्षित था कि उस समय तक वितरित निधियां परियोजना गतिविधियों में व्यय की गई थी।

आरबीआई के दिशा-निर्देश (जुलाई 2013) ने सुझाव दिया कि वित्त पोषण एजेंसियों को सनदी लेखाकारों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु उनके ऋण श्रेणी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनके आंतरिक नियंत्रण और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया कि निधियों का अन्तिम उपयोग सुनिश्चित करने में उचित उपाय उनके ऋण नीति दस्तावेज के भाग होने चाहिए। निम्नलिखित शर्त लगाई गई थी:

- (क) त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/संचालन विवरण/कर्जदारों के तुलन-पत्रों की उचित संवीक्षा;
- (ख) ऋणदाताओं को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित कर्जदार की परिसंपत्तियों की नियमित जांच; और
- (ग) कर्जदारों के बहीखातों और अन्य बैंकों में 'गैर-दावाकृत' लेखाओं की आवधिक संवीक्षा।

इसके अतिरिक्त, कंपनियों के व्यवसायी/विकासक जहां बैंकों/एफआईज ने निधियों को गलत रूप से निकालना/विचलन, गलत रूप से दर्शाया जाना, लेखाओं के मिथ्याकथन की पहचान की थी और झूठे लेन-देनों को अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एफआईज और एनबीएफसीज से संस्थागत वित्त प्रेषण से वंचित किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कर्जदार द्वारा निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आरईसी और पीएफसी द्वारा कोई विशिष्ट मानदंड नहीं अपनाये गये थे। वे केवल निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र पर निर्भर थे। निधिबद्ध परियोजनाओं के न्यास व धारण लेखो (टीआरए) के संचालन की नियमित रूप से निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं की गई थी कि सभी ऋणदाताओं से ऋण निधियाँ केवल परियोजना गतिविधियों के लिए उपयोग की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कर्जदारों के गैर-दावाकृत बैंक खातों के विवरण, यदि कोई है, नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त नहीं किये और निगरानी नहीं की गई कि इन खातों से टीआरए को ऋण निधियों के विचलन के लिए अवसर प्राप्त हुये। ऋणदाताओं से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना सावधि जमा में निवेशित ऋण निधियों की घटनाएं भी देखी गईं। इसके परिणामस्वरूप अग्रलिखित पांच मामलों में ₹ 2457.60 करोड़ के निधियों को गलत रूप से निकाला गया/विचलन हुआ:

3.5.1 आरईसी ने मै. इंड-भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड को ₹ 1166 करोड़ ऋण स्वीकृत (10 नवंबर 2014) किये और ₹ 416.21 करोड़ वितरित किये। परियोजना कंपनी के विकासक ने सावधि जमा (एफडीज) बैंक ऑफ इंडिया के पास ₹ 548.25 करोड़ और यूको बैंक के पास ₹ 25.74 करोड़ में परियोजना गतिविधियों के लिए ₹ 573.99 करोड़

की ऋणदाता की निधि रखी। 2013 से 2015 की अवधि के दौरान इन एफडीज़ पर विकासक ने ऋण प्राप्त किये। अन्य ग्रुप कंपनियों के नकद प्रवाह में कमी पूरी करने के लिए समय-समय पर एफडीज़ नवीकृत की गई थीं। आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बैंकों/एफआई से कोई निधि उधार ली है, उसे कर्जदार के संचालनों के गैर-संबंधित उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया है, तो इसे 'निधियों के गलत रूप से निकालने' के रूप में माना जाएगा। विकासक ने संयुक्त ऋणदाता बैठक (जेएलएम) में निधियों का गलत-उपयोग भी स्वीकार किया (अगस्त 2016)। आरईसी द्वारा कर्जदार के प्रति अभी भी कार्रवाई की जानी (अक्टूबर 2016) थी।

एमओपी ने कहा (मार्च 2017) कि आरईसी ने टीआरए के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहने के लिए कर्जदारों और टीआरए बैंक के प्रति विधिक कार्रवाई के लिए सहमति प्रदान की है।

3.5.2 में. केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड (केएमपीसीएल) के मामले में जनवरी 2014 में परियोजना गतिविधियों के लिए रखे गये लगभग ₹700 करोड़ का विचलन पाया गया। जल, रेल-कोयला परिवहन आदि आधारभूत सहायता प्रदान करते हुए विकासक की तीन एसपीवी³³ कंपनियों को निधियां उधार दी गई थीं। इन एसपीवी द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्य केएमपीसीएल की परियोजना के भाग के रूप में नहीं थे, परंतु केएमपीसीएल के विकासकों द्वारा इक्विटी के निषेचन के उत्तरदायित्व के साथ ऋणदाताओं के अन्य सेट से निधिबद्ध थे। केएमपीसीएल के साथ दो एसपीवीज़ का विलय करने का और बढ़ी हुई लागत के प्रति बाद के वितरण से पहले टीआरए से तीसरी एसपीवी में ₹ 125 करोड़ वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया (दिसम्बर 2014)। लेखापरीक्षा ने देखा कि केएमपीसीएल द्वारा इन शर्तों को पूरा न करने के बावजूद, आरईसी ने मार्च 2015 से मई 2016 तक ₹ 571.69 करोड़ वितरित किये। ₹ 1355 करोड़ अतिरिक्त ऋण के साथ बढ़ी हुई लागत में भाग लिया (मार्च 2016)। कर्जदार द्वारा निधियों के ज्ञात विचलन की निर्दिष्ट शर्तों की गैर-अनुपालना के बावजूद निधियों का जारी वितरण अविवेकपूर्ण था।

³³ रायगढ़-चंपा, रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरसीआरआईपीएल), केएसके वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केडब्ल्यूआईपीएल) और केएसके मिनरल रिसॉर्सिज प्राइवेट लिमिटेड (केएमआरपीएल)

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017 /दिसम्बर 2016) कि दो एसपीवीज का विलय किया जाएगा और सितम्बर 2016 तक टीआरए में ₹125 करोड़ वापस लिये जाएंगे और इस तिथि के बाद आगे कोई वितरण नहीं किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि दो एसपीवी के विलय की प्रक्रिया और एसपीवीज में निवेशित राशि की वसूली प्रक्रियाधीन थी।

3.5.3 आरईसी ने मै. कार्पोरेट पावर लिमिटेड (सीपीएल) को ऋण स्वीकृत (नवम्बर 2009) किया और ₹830.39 करोड़ वितरित किये। इस परियोजना की इपीसी संविदा एक विकासक मै. अभिजीत प्रोजैक्ट्स लिमिटेड (एपीएल) को सौंपी गई थी। एपीएल ने वापस भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को बायलर, टरबाइन और जेनरेटर (बीटीजी) की स्थापना हेतु यंत्र और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ठेका प्रदान किया। चरण-I के लिए आहरण नोटिस के अनुसार, 30 जून 2012 तक कुल निर्माण बजट ₹ 2900.07 करोड़ था जिसमें इपीसी लागत ₹2047.98 करोड़ शामिल थी। लगभग संपूर्ण बजट लागत ₹2867.16 करोड़ (वास्तविक परियोजना लागत का 98.87 प्रतिशत) के व्यय के साथ 16 अक्टूबर 2012 तक खर्च हो चुकी थी। तथापि, बीएचईएल को देय ₹ 786.10 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं हुआ। बीएचईएल ने ₹ 1109.15 करोड़ (₹ 323.05 करोड़ के ब्याज सहित) की वसूली के लिये सीपीएल और एपीएल को कानूनी नोटिस जारी किया। ऋण के बड़े भाग के संवितरण के बाद भी, बीएचईएल के ऋण का भुगतान न करना यह दर्शाता है कि, ऋण निधि का नियत उद्देश्य हेतु प्रयोग नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने कर्जदार को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में घोषित नहीं किया और न ही सितंबर 2016 तक कर्जदार के प्रति एफआईआर दर्ज की।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017 /दिसम्बर 2016) कि न्यास व धारण लेखा (टीआरए) के धन का इपीसी ठेकेदार के भुगतान के लिये प्रयोग किया गया था, तथापि, इपीसी ठेकेदार द्वारा बीएचईएल सहित विभिन्न उप-ठेकेदारों/विक्रेता को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, कार्य स्थल को छोड़ दिया गया था। यह भी कहा गया कि यद्यपि मैसर्स डिलोइट को ऋणदाताओं की ओर से इस पहलू पर विश्लेषण करने हेतु विशेष लेखापरीक्षा करने के लिये नियुक्त किया गया था, अपेक्षित दस्तावेजों की

अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। आगे की कार्रवाई और वसूली नीति वर्तमान में नेतृत्व कर रही संस्था, एआरसीआइएल, द्वारा बनाई जा रही है।

3.5.4 मै. अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) ने ऋणदाताओं से अनुमति लिये बिना एचडीएफसी बैंक, गैर-संघीय बैंक में खाता खोला था। कर्जदार ने इस खाते में (एचडीएफसी बैंक में) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से ₹ 187.77 करोड़ प्राप्त किये तथा निधि का दुरुपयोग हुआ। संयुक्त ऋणदाता बैठक (04 अप्रैल 2016) में यह भी सामने आया कि कर्जदार द्वारा निधि का यथोचित प्रयोग न करने के परिणामस्वरूप देय राशि का भुगतान नहीं हुआ।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसंबर 2016) कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने दिसंबर 2016 में सूचित किया, कि निधि का विपथन नहीं किया गया था और वर्तमान में यूपीपीसीएल से नकद प्रवाह अब अग्रणी बैंक में खाते के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, आश्वासन दिया गया कि भुगतान तंत्र को और मजबूत किया जायेगा, और उसे उसकी समीक्षा के बाद मूल्यांकन दिशानिर्देशों का हिस्सा बनाया जायेगा।

लेखापरीक्षा आरईसी के आश्वासन की सराहना करता है। तथापि, एचपीसीएल के मामले में, पीएनबी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक ने उपरोक्त निधि के प्रयोग की पुष्टि की और बताया कि उसकी लेखापरीक्षा में केवल ₹ 170.87 करोड़ के लेनदेन की जांच की जा सकती है। पीएफसी ने कोई टिप्पणी नहीं दी।

3.5.5 पीएफसी ने मैसर्स जीवीके रैटले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (जीआरएचडीपीपीएल) को सितंबर 2013 में ₹ 816.90 करोड़ दिये। परियोजना का कार्य जुलाई 2014 में बंद हो गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दी गई ऋण की राशि में से लगभग ₹ 380.61 करोड़ टीआरए में व्यर्थ पड़े थे या अन्य बैंक (टीआरए के अतिरिक्त बैंक) में सावधि जमा में निवेश किया गया था और विकासक ने इस सावधि जमा के लिये भार-रहितता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि दिसंबर 2014 में अर्थात् उपरोक्त का पीएफसी के नोटिस में आने के बाद, विकासक ने उसे टीआरए के माध्यम से न देकर अग्रिम के रूप में उसकी समूह कंपनियों में से एक

को ₹ 2 करोड़ का भुगतान किया। कर्जदार ने न तो निधि के प्रयोग में परिवर्तन और दूसरे उद्देश्य हेतु निधि के प्रयोग के लिये पीएफसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया न ही पीएफसी ने निधि के प्रयोग की मॉनीटरिंग की। चूंकि इस परियोजना में केवल पीएफसी ही ऋणदाता था, टीआरए में लेनदेन और ऋण निधि के प्रयोग की मॉनीटरिंग की मुख्य जिम्मेदारी उसकी थी। विकासक द्वारा ऋण निधि के प्रयोग के बार-बार परिवर्तन से पता चलता है कि पीएफसी इस संबंध में निगरानी की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल रहा।

एमओपी ने कहा (जून 2017) कि परियोजना राशि के वेहतर नियंत्रण के लिए और आगे टीआरए के निगरानी ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए अपनी नीति की पुनः समीक्षा करेगा।

लेखापरीक्षा पीएफसी द्वारा अपनी नीति की प्रस्तावित समीक्षा में चिन्हित मामले पर विचार करने की सराहना करता है।